आवंटनादेश

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

संख्या–10/परवरिश–01/2010–

प्रेषक,

इमामुद्दीन अहमद,
निदेशक, समाज कल्याण।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
समाज कल्याण निदेशालय,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में "परवरिश" योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 10,00,00,000/– (दस करोड़) मात्र के सहायक अनुदान का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत्यादेश संख्या–89 दिनांक–20.09.2016 द्वारा '"परवरिश" योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 10,00,00,000/– (दस करोड़) मात्र के सहायक अनुदान की की स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में 'परवरिश' योजना के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान मद में कुल रूपये 10,00,00,000/– (दस करोड़) मात्र आवंटित किया जाता है।

2. परवरिश योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2015 के अनुरूप राशि व्यय की जायेगी। स्वीकृत राशि की 1 प्रतिशत राशि प्रशासनिक मद में व्यय की जायेगी।

3. राज्य स्तर पर इस योजना का संचालन राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना तथा जिला स्तर पर योजना का संचालन एवं अनुश्रवण का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी के नियंत्रण में जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला बाल संरक्षण समिति का होगा। इस योजना का संचालन एवं नियंत्रण निदेशक, समाज कल्याण–सह–उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार द्वारा किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना हैं। इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, समाज कल्याण हैं।

5. सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परियोजना निदेशक, राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगें।

6. कुल भारित व्यय की राशि कुल रूपये 10,00,00,000/– (दस करोड़) मात्र राज्य योजनान्तर्गत बजट मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–102–बाल कल्याण–0116–परवरिश–3104–सहायक अनुदान–वेतन के अंतर्गत उपबंधित राशि से मांग संख्या–51 से विकलनीय है। इस योजना का विपत्र कोड सं0– पी0 2235021020116 है।

7. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998, 2450 दिनांक–17.04.1999, पत्रांक–41 वि0 (2) दिनांक–30.01.2002 एवं 2938वि0 (2) दिनांक–08.04.2008 एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

विश्वासभाजन
ह0/–
(इमामुद्दीन अहमद)
निदेशक, समाज कल्याण।

ज्ञापांक–10/परवरिश–01/2010– 90 पटना, दिनांक– 20/09/16

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/अपर सचिव, समाज कल्याण/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई/ सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, समाज कल्याण निदेशालय (दोहरी प्रति में) एवं आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/9/16
(इमामुद्दीन अहमद)
निदेशक, समाज कल्याण।